न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2024-078(GCMS2024-198)

1. पेमाराम उर्फ प्रेमराज पुत्र श्री चुन्नीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री पेमाराम उर्फ प्रेमराज
3. कमलादेवी पत्नी पेमाराम उर्फ प्रेमराज

   जातियान् सोनार, निवासीगण- पंडितजी की ढाणी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. रामलाल पुत्र श्री हीरालाल
2. धनराज पुत्र श्री हीरालाल
3. झुमरलाल पुत्र श्री मांगीलाल
4. ताराचन्द पुत्र श्री मांगीलाल
5. पप्पुलाल पुत्र श्री मांगीलाल
6. लूणीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल
7. भोमाराम पुत्र श्री घेवरराम
8. जगदीश पुत्र श्री घेंवरराम
9. तुलसीराम पुत्र श्री अलाराम
10. देवीकिशन पुत्र श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम)
11. मंजू पुत्री श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम)
12. बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

13. कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल
14. मनोहरलाल पुत्र श्री बाबूलाल
15. गणेशराम पुत्र श्री बाबुलाल
16. भूराराम पुत्र श्री बाबूलाल
17. भगाराम पुत्र श्री बाबूलाल
18. संतोष पुत्री श्री बाबूलाल
19. लीलादेवी पुत्री श्री बाबूलाल
20. पूजा पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
21. माया पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
22. मंजू पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
23. सवाईराम पुत्र श्री शंकरलाल
24. जोगाराम पुत्र श्री शंकरलाल
25. राणाराम पुत्र श्री शंकरलाल के कायम मुकामः -
    - 25.1. दिनेश पुत्र स्व. श्री राणाराम
    - 25.2. राकेश पुत्र स्व. श्री राणाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम)
    - 25.3. निरमा पुत्री स्व. श्री राणाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम)
    - 25.4. भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम
26. श्यामलाल पुत्र श्री शंकरलाल
27. रुकमो पत्नी श्री शंकरलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

28. भंवरी पुत्री श्री हीरालाल
29. जेतीदेवी पुत्री श्री हीरालाल
30. रुकमो पुत्री श्री हीरालाल
31. गंगा पुत्री श्री हीरालाल
32. जेठीदेवी पुत्री श्री हीरालाल
33. कमला पत्नी श्री गिरधारीलाल
34. कन्हैयालाल पुत्र श्री चुन्नीलाल

    सभी जातियान् सोनार,

    निवासीगण ग्राम पण्डित जी की ढाणी,

    तहसील औसिंया, जिला जोधपुर।

35. राजस्थान सरकार

    जरिये तहसीलदार औसियां,

    जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 सहायक कलक्टर औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 47/2019 रामलाल व अन्य बनाम झूमरलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, श्री प्रेम कुमार विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री ओमप्रकाश बूब, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या 1,2,8,9,14,23,24,25/2 से 25/4,27,34

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 35

शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2019 अनवान रामलाल व अन्य बनाम झूमरलाल इत्यादि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 18 जून 2024 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 404 रकबा 14 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 405 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नं. 406 रकबा 03 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन ढाणी, खसरा नं. 408 रकबा 04.01 बीघा ग्राम पण्डितजी की ढाणी तहसील औसियां के संबंध में धारा 88, 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02 दिसंबर 2019 को वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये, जिसके खिलाफ अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा की गई तमाम कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त करने योग्य है। विचारण न्यायालय ने वाद की सुनवाई का कोई नोटिस अीपलार्थीगण को नहीं दिया तथा तमाम कार्यवाही जल्दबाजी में करते हुए फैसला कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बिना समुचित तामील के पत्रावली में एकतरफा कार्यवाही करके फैसला कर दिया गया। अपीलार्थी को विचारण न्यायालय से वाद की सुनवाई का कोई नोटिस नहीं मिल, उनके निवास स्थान पर कोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नोटिस लेकर आया ही नहीं। विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही के दौरान प्रतिवादीगण संख्य 11 व 32 का देहान्त हो गया, मगर उनके विधिक वारिसान को अभिलेख पर लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना किये बिना ही पारित किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि दिनांक 07 जून 2024 को वादीगण पुलिस को साथ में लेकर अकस्मात विवादग्रस्त भूमि पर पैमाईश एवं पत्थरगढी करने के लिए आये एवं मौके पर अपीलार्थी के मकान के आस-पास खुटे लगाने लगे तब अपीलार्थी ने विरोध किया, तब अपीलार्थी को बताया कि नक्शे में तरमीम की हुई है एवं उक्त तरमीम उपखण्ड अधिकारी औसियां के निर्णय के आधार पर की हुई है। तब अपीलार्थी ने इस बारे में पता करना शुरू किया तो दिनांक 12 जून 2024 को पता लगा कि विचारण न्यायालय से बंटवाडे की डिक्री जारी की गई है, तब उसी समय संपूर्ण पत्रावली व फैसले की नकल मांगी जो नकल दिनांक 12 जून 2024 को प्राप्त हुई, जिसे पढने से अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रथम बार जानकारी हुई। इससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। प्रथम जानकारी से हस्तगत अपीले अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 02 दिसंबर 2019 को अपास्त फरमाया जावे

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन वाद में उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बतलाया गया हैं। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पूर्व से ही थी, क्योंकि अपीलांट्स द्वारा वर्ष 2022 में विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया था, उस वाद में स्पष्ट तौर पर वाद पत्र में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि के लिये 11.05.2022 को सीमांकन हुआ था एवं अपीलांट द्वारा जो मूल वाद प्रस्तुत किया गया था, उस समय भी उनके द्वारा अपनी भूमि के समस्त राजस्व रेकर्ड की जानकारी ली गई थी। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के खसरा नंबर अंकित करते हुए पत्थरगढी के लिए डिफेंड किया था। अपीलांट द्वारा पुलिस थाना औसियां में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 221 दिनांक 27 अगस्त 2022 दर्ज करवाते समय भी वादग्रस्त आराजी का विवरण दिया था। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। इसके अलावा अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251-ए राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि में जाने हेतु रास्ते का आवेदन भी वर्ष 2022 में किया, जिससे भी उसे वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड की जानकारी शुरूआत से ही रही है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एव म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पो. ने अपनी बहस के समर्थन में 2005(1)आर. एल.ठब्ल्यू. पेज 141, 2011(2)आर.एल.डब्ल्यू. पेज 1767, 1999 आर.आर.डी. पेज 389, 1991 आर.आर.डी. पेज 164, 1989 आर.आर.डी. पेज 500 की न्यायिक नजीरे पेश की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स संख्या एक से तीन विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद में कमशः बतौर प्रतिवादी संख्या 34, 36 व 37 पक्षकार संयोजित होना पाया जाता है। जिनके तामीलसुदा सम्मन विचारण न्यायालय की पत्रावली में पेज संख्या 64 (अपीलाण्ट संख्या 1 प्रेमराज पुत्र चुन्नीलाल), पेज संख्या 65 (अपीलाण्ट संख्या 2 ओमप्रकाश पुत्र प्रेमराज) एवं पेज संख्या 66 (अपीलाण्ट संख्या तीन कमलादेवी पत्नी प्रेमराज) उपलब्ध है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। समुचित तामील के उपरान्त भी विचारण न्यायालय में उक्त प्रतिवादीगण(अपीलाण्ट्स) व अन्य प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ दिनांक 23 सितम्बर 2019 को नियमानुसार इकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। इसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-पक्ष की साक्ष्य सुनवाई के बाद विधिवत कार्यवाही करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 02 दिसम्बर 2019 पारित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये है। जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पाये जाते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जिन प्रतिवादीगण संख्या 11 व 32 के देहान्त अपीलाण्ट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद की कार्यवाही के दौरान हो जाना जाहिर किया गया है, उनके संबंध में अपील स्तर पर प्रस्तुत मृत्यु प्रमाणपत्र की छाया प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि पूनमराम पुत्र अलाराम (प्रतिवादी संख्या 11) का देहान्त दिनांक 29 जनवरी 2021 को होना प्रकट होता है। इसी प्रकार अपील स्तर पर प्रस्तुत शोक सन्देश की छाया प्रति के अनुसार गिरधारीलाल पुत्र चुन्नीलाल (प्रतिवादी संख्या 32) का देहान्त दिनांक 29 सितम्बर 2022 को होना प्रकट होता है। जाहिर है कि इन प्रतिवादीगण के देहान्त के पूर्व में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 पारित किये जाकर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जा चुके थे और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 02 मार्च 2020 को मामले में निर्णय एवं फाइनल डिक्री भी पारित किये जा चुके है। अतः इस संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

वइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. पेमाराम उर्फ प्रेमराज पुत्र श्री चुन्नीलाल
2. ओमप्रकाश पुत्र श्री पेमाराम उर्फ प्रेमराज
3. कमलादेवी पत्नी पेमाराम उर्फ प्रेमराज

जातियान् सोनार, निवासीगण- पंडितजी की ढाणी, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पो.

1. रामलाल पुत्र श्री हीरालाल
2. धनराज पुत्र श्री हीरालाल
3. झुमरलाल पुत्र श्री मांगीलाल
4. ताराचन्द पुत्र श्री मांगीलाल
5. पप्पुलाल पुत्र श्री मांगीलाल
6. लूणीदेवी पत्नी श्री मांगीलाल
7. भोमाराम पुत्र श्री घेवरराम
8. जगदीश पुत्र श्री घेंवरराम
9. तुलसीराम पुत्र श्री अलाराम
10. देवीकिशन पुत्र श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम)
11. मंजू पुत्री श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम)
12. बरजू पत्नी श्री अजाराम उर्फ अर्जुनराम
13. कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल
14. मनोहरलाल पुत्र श्री बाबूलाल
15. गणेशराम पुत्र श्री बाबुलाल
16. भूराराम पुत्र श्री बाबूलाल
17. भगाराम पुत्र श्री बाबूलाल
18. संतोष पुत्री श्री बाबूलाल
19. लीलादेवी पुत्री श्री बाबूलाल
20. पूजा पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
21. माया पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)
22. मंजू पुत्री श्री बाबूलाल (नाबालिग

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये कुदरती वलिया माता कमलादेवी पत्नी श्री बाबूलाल)

23. सवाईराम पुत्र श्री शंकरलाल
24. जोगाराम पुत्र श्री शंकरलाल
25. राणाराम पुत्र श्री शंकरलाल के कायम मुकामः -
    - 25.1. दिनेश पुत्र स्व. श्री राणाराम
    - 25.2. राकेश पुत्र स्व. श्री राणाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम)
    - 25.3. निरमा पुत्री स्व. श्री राणाराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम)
    - 25.4. भूरी पत्नी स्व. श्री राणाराम
26. श्यामलाल पुत्र श्री शंकरलाल
27. रूकमो पत्नी श्री शंकरलाल
28. भंवरी पुत्री श्री हीरालाल
29. जेतीदेवी पुत्री श्री हीरालाल
30. रूकमो पुत्री श्री हीरालाल
31. गंगा पुत्री श्री हीरालाल
32. जेठीदेवी पुत्री श्री हीरालाल
33. कमला पत्नी श्री गिरधारीलाल
34. कन्हैयालाल पुत्र श्री चुन्नीलाल

    सभी जातियान् सोनार,
    निवासीगण ग्राम पण्डित जी की ढाणी,
    तहसील औसिंया, जिला जोधपुर।
35. राजस्थान सरकार

    जरिये तहसीलदार औसियां,
    जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 सहायक कलक्टर औसियां

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व मूल वाद संख्या 47/2019 रामलाल व अन्य
बनाम झूमरलाल इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 23 दिसम्बर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं श्री प्रेमकुमार विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाती है विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं फाइनल डिक्री दिनांक 02 दिसम्बर 2019 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 23 दिसम्बर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर